



Neutral Citation No-2026:AHC:5211

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 5197 वर्ष 2025

संत कुमार और 2 अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: रमाकांत तिवारी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: अक्षय रघुवंशी, रितेश कुमार सिंह, अचल सिंह, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता, राज्य-प्रतिपक्षी संख्या-1 और 2 के स्थायी अधिवक्ता, गांव सभा के अधिवक्ता और निजी प्रतिपक्षी संख्या-4 के अधिवक्ता को सुना।
2. प्रस्तुत मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों और यहां पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत रिट याचिका पर अंतिम रूप से उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता की सहमति से, उनके संबंधित हलफनामे को बुलाए बिना और प्रोफार्मा प्रतिपक्षी संख्या-5 और 6 को नोटिस दिए बिना निर्णय लिया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए चकबंदी उप निदेशक, चित्रकूट द्वारा पारित दिनांक 03.11.2025 के आदेश का उल्लंघन करते हुए कहा है कि प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का प्रभावी अवसर प्रदान किए बिना, संशोधन का निर्णय एकपक्षीय रूप से किया गया था।
4. चकबंदी के उप निदेशक (प्रतिपक्षी संख्या-2) द्वारा पारित दिनांक 03.11.2025 के चुनौती वाले आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिए बिना, उन्हें पीठ के पीछे पारित किया गया था। पुनरीक्षण न्यायालय ने केवल यह देखा है कि पुनरीक्षण में प्रतिपक्षी (यहां याचिकाकर्ता) पुनरीक्षण के निपटान में रुचि नहीं ले रहे थे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तुत याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर न मिलने पर प्रतिपक्षी संख्या-4 के अधिवक्ता के साथ-साथ गांव सभा के अधिवक्ता और राज्य के स्थायी अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाता है। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, यदि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, प्रस्तुत मामले को नए सिरे से तय करने के लिए चकबंदी के उपनिदेशक को भेज दिया जाता है।

5. इस परिप्रेक्ष्य में, प्रस्तुत रिट याचिका को लंबित रखने के लिए उपरोक्त कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, प्रस्तुत रिट याचिका सफल होती है और इसकी अनुमति दी जाती है। चकबंदी के उप निदेशक द्वारा पारित दिनांक 03.11.2024 का आदेश एतद्वारा रद्द कर दिया जाता है और दोनों पक्षों को पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष हटा दिया जाता है।

6. यह सिवाय इसके कि चकबंदी के विद्वान उप निदेशक कानून के अनुसार, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, कानून के अनुसार, शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति के उत्पादन की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर एक तर्कपूर्ण और आख्यापक आदेश द्वारा संशोधन का निर्णय लेने का प्रयास करेंगे

7. दोनों पक्षों को 28.01.2026 को चकबंदी उप निदेशक, चित्रकूट (प्रतिपक्षी संख्या-2) के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

जनवरी 8, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)